न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/25/2025	2025/9	08.01.2025	26.03.2025

1. सरकार जरिये तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. देवीसहाय पुत्र हाडा जाति गुर्जर निवासी टोडियार तहसील व जिला अलवर।

–अप्रार्थी

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4) भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–

01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी

–:निर्णयः–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–14 (4) भूमि आवंटन आदेश जिसके द्वारा अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम टोडियार तहसील अलवर की आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान राजकीय अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि वाके ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तो के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का कस्बाडहरा की रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है की कि मौके पर अप्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही है। तथा ना मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थी द्वारा राज. कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

प्रार्थना पत्र न्यायलय श्रीमान के सुनने योग्य है। अतः श्रीमान की सेवा में यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि वाके ग्राम टोडियार तहसील अलवर जिला अलवर किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे। श्रीमान की अति कृपा होगी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के अनुपस्थित। प्रार्थी द्वारा मुख्य कथन किया गया है कि विवादित आवंटित उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा व काश्त नहीं होने तथा मौका जॉच किये बिना अप्रार्थी को उक्त आराजी आवंटित कर दी गई। आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि वाके ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। पटवारी हल्का कस्बाडहरा की रिपोर्ट के अनुसार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि किस्म गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम टोडियार तहसील व जिला अलवर के राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सा0 देह अलोटी गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय से कब्जा रहा है। पटवारी हल्का करबाडहरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.11.2024 से स्पष्ट है कि उक्त आराजी पर मौके पर अप्रार्थी गैर खातेदार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। उपस्थित लोगों ने बताया कि उक्त आराजी पर मौके पर अन्य दीगर व्यक्तियों का कब्जा चला आ रहा है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम में नहीं लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियमों की पालना नहीं की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी को आवंटित की गई उक्त आराजी खसरा न0 298 रकबा 0.03 है0 भूमि किस्म गै0मु0 चाह वाके ग्राम टोडियार जिला अलवर के आवंटन आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)